



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273316
CG-DL-E-10062026-273316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2826]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2826]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2920(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-365BB के किमी 0.00 से किमी.59.622, किमी 26.000 से किमी.45.200 को छोड़कर (जीलुगुमिलि - पट्टीसम खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलेक्टर एलुरु को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा

सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-365BB के किमी 0.00 से किमी.59.622, किमी 26.000 से किमी.45.200 को छोड़कर (जीलुगुमिलि - पट्टीसम खंड।) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: एलुरु		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पोलावरम					
गांव का नाम: पट्टीसम					
1	104/1B2	निजी	झाय	0.22 (एकर)	0.0890328
गांव का नाम: प्रगडापल्ले					
2	363/3B	निजी	झाय	0.02 (एकर)	0.0080939
3	364/1B	निजी	झाय	0.02 (एकर)	0.0080939
4	417/4A	निजी	झाय	0.07 (एकर)	0.0283286
5	418	निजी	झाय	0.53 (एकर)	0.2144881
6	420	निजी	झाय	0.37 (एकर)	0.1497369
7	438/1B	निजी	झाय	0.01 (एकर)	0.0040469
तालुक का नाम: बुट्टाईगुडेम					
गांव का नाम: बुट्टाईगुडेम					
8	313/2	निजी	झाय	0.1 (एकर)	0.0404695
9	326/2A	निजी	झाय	0.05 (एकर)	0.0202347
10	328/1B1	निजी	झाय	0.1 (एकर)	0.0404695
11	347/3B	सरकारी	झाय	0.08 (एकर)	0.0323756
12	348/1B	निजी	झाय	0.12 (एकर)	0.0485633
13	349/2	निजी	झाय	0.06 (एकर)	0.0242817
14	379/1A	निजी	झाय	0.06 (एकर)	0.0242817

15	379/2A	निजी	ड्राय	0.06 (एकर)	0.0242817
16	379/3A	निजी	ड्राय	0.07 (एकर)	0.0283286
17	379/4A	निजी	ड्राय	0.11 (एकर)	0.0445164
18	385/3A2	निजी	ड्राय	0.08 (एकर)	0.0323756
19	385/3A3	निजी	ड्राय	0.09 (एकर)	0.0364225
20	386/2A2	निजी	ड्राय	0.11 (एकर)	0.0445164
21	389/3A2	निजी	ड्राय	0.11 (एकर)	0.0445164
22	389/4B	निजी	ड्राय	0.07 (एकर)	0.0283286
23	389/5B	निजी	ड्राय	0.03 (एकर)	0.0121408
24	399/2A2	निजी	ड्राय	0.01 (एकर)	0.0040469
25	450-1B	निजी	ड्राय	0.04 (एकर)	0.0161878
26	450-3B	निजी	ड्राय	0.08 (एकर)	0.0323756
27	450-4B	निजी	ड्राय	0.02 (एकर)	0.0080939
28	464-1A	निजी	ड्राय	0.04 (एकर)	0.0161878
29	629	सरकारी	एडबल्यूडी	0.05 (एकर)	0.0202347
30	634/2B	निजी	ड्राय	0.11 (एकर)	0.0445164
तालुक का नाम: जिलूगुमिल्ली					
गांव का नाम: परिमपुडी नरायनापुरम शीट - 1					
31	112	सरकारी	बंदीदारी	0.03 (एकर)	0.0121408
32	168	सरकारी	बंदीदारी	0.04 (एकर)	0.0161878
33	3	निजी	ड्राय	0.06 (एकर)	0.0242817
34	4/1a	निजी	ड्राय	0.1 (एकर)	0.0404695
गांव का नाम: रौथुगुडेम (पी . नरायनापुरम)					
35	104	निजी	ड्राय	0.3 (एकर)	0.1214083
Total					1.3840553

[फा. सं. DTCL/53/2018-SUPDT-G-COLLECTORATE/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 2920(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-365BB in the stretch of land from Km 0.00 to km.59.622 excluding Km 26.000 to km.45.200 (Jeelugumilli - Pattisam section.) in the district of Eluru in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, JC Eluru in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-365BB in the stretch of land from Km 0.00 to km.59.622 excluding Km 26.000 to km.45.200 (Jeelugumilli - Pattisam section.) in the district of Eluru in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Eluru		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Polavaram					
Village: Pattisam					
1	104/1B2	Private	Dry	0.22 (Acre)	0.0890328
Village: Pragadapalle					
2	363/3B	Private	Dry	0.02 (Acre)	0.0080939
3	364/1B	Private	Dry	0.02 (Acre)	0.0080939
4	417/4A	Private	Dry	0.07 (Acre)	0.0283286
5	418	Private	Dry	0.53 (Acre)	0.2144881
6	420	Private	Dry	0.37 (Acre)	0.1497369
7	438/1B	Private	Dry	0.01 (Acre)	0.0040469
Taluk: Buttaigudem					
Village: Buttaigudem					
8	313/2	Private	dry	0.1 (Acre)	0.0404695
9	326/2A	Private	dry	0.05 (Acre)	0.0202347
10	328/1B1	Private	dry	0.1 (Acre)	0.0404695
11	347/3B	Government	dry	0.08 (Acre)	0.0323756
12	348/1B	Private	dry	0.12 (Acre)	0.0485633
13	349/2	Private	dry	0.06 (Acre)	0.0242817
14	379/1A	Private	dry	0.06 (Acre)	0.0242817

15	379/2A	Private	dry	0.06 (Acre)	0.0242817
16	379/3A	Private	dry	0.07 (Acre)	0.0283286
17	379/4A	Private	dry	0.11 (Acre)	0.0445164
18	385/3A2	Private	dry	0.08 (Acre)	0.0323756
19	385/3A3	Private	dry	0.09 (Acre)	0.0364225
20	386/2A2	Private	dry	0.11 (Acre)	0.0445164
21	389/3A2	Private	dry	0.11 (Acre)	0.0445164
22	389/4B	Private	dry	0.07 (Acre)	0.0283286
23	389/5B	Private	dry	0.03 (Acre)	0.0121408
24	399/2A2	Private	dry	0.01 (Acre)	0.0040469
25	450-1B	Private	dry	0.04 (Acre)	0.0161878
26	450-3B	Private	dry	0.08 (Acre)	0.0323756
27	450-4B	Private	dry	0.02 (Acre)	0.0080939
28	464-1A	Private	dry	0.04 (Acre)	0.0161878
29	629	Government	AWD	0.05 (Acre)	0.0202347
30	634/2B	Private	dry	0.11 (Acre)	0.0445164
Taluk: Jeelugumilli					
Village: Parimpudi Narayanapuram Sheet-1					
31	112	Government	Bandidari	0.03 (Acre)	0.0121408
32	168	Government	Bandidari	0.04 (Acre)	0.0161878
33	3	Private	dry	0.06 (Acre)	0.0242817
34	4/1a	Private	dry	0.1 (Acre)	0.0404695
Village: Rowthugudem (P.Narayanapuram)					
35	104	Private	Dry	0.3 (Acre)	0.1214083
Total					1.3840553

[F. No. DTCL/53/2018-SUPDT-G-COLLECTORATE/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director